


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>हरीशचन्द्र बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 36/2023</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>20-02-2023</p>	<p>अपीलार्थी हरीशचन्द्र सिंघल, निवासी 94, बलदेवनगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.12.2022 में (1) अपर सिविल जज एवं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नम्बर 02 जोधपुर मेट्रोपोलिटन ने पत्र दिनांक 16.11.2022 के द्वारा कोषाधिकारी शहर को पीडी खाता संख्या 08 (नवीन नं० 4034) से 11,21,665 रुपये का चैक श्री हरीश चंद्र सिंघल के पक्ष में जारी कर तथा न्यायालय में अविलम्ब जमा करवाने के निर्देश दिए थे व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 74 दिनांक 23.01.2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर कोषालय शहर जोधपुर से संबंधित होने से प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत कोषाधिकारी शहर जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 2548 दिनांक 30.12.22 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी शहर जोधपुर) को प्रार्थना पत्र विधिक प्रक्रिया के तहत स्थानान्तरित किया जा चुका है। अपीलार्थी के कथनानुसार उसे सूचना नहीं मिली है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा कोषाधिकारी शहर जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने का कारण से अवगत कराया जायै आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p>	